प्रेस नोट
दिनांक 24.08.2026

थाना को मनकापुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाही

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 333/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त परवेज पुत्र नूर अली को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.08.2026 को थाना को0 मनकापुर पर थाना मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी शादी दिनांक 08.02.2021 को जनपद बलरामपुर में हुई थी। तहरीर के अनुसार वैवाहिक विवाद के कारण वह अपने मायके में रह रही थी। इसी दौरान उसके परिचित परवेज द्वारा शादी करने का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए गए तथा उसके कहने पर उसने अपने पति से तलाक ले लिया। बाद में परवेज द्वारा शादी करने से इन्कार करने का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मनकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त परवेज को भिटौरा गांव के सामने मनकापुर–गोण्डा रोड पर फुल इब्राहिम शाह मजार जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. परवेज पुत्र नूर अली"निवासी ग्राम भिटौरा, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 333/2026, धारा 69 बीएनएस, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 प्रदीप सिंह सेंगर
02. का0 राजनरायण यादव
03. रि0आ0 संदीप कुमार
04. म0का0 मुस्कान गौतम

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.08.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग से दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 294/2026 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए विश्नोहरपुर गेट के पास घेराबंदी कर अभियुक्त पप्पू उर्फ फारूख पुत्र झगरू उर्फ सफीउल्लाह निवासी ग्राम सहजनी चौकी मौजा परसापुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी करीब 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अभियुक्त पप्पू उर्फ फारूख द्वारा बहला–फुसलाकर एवं डराने–धमकाने के बाद उसके साथ कई बार दुराचार किया गया। नाबालिग द्वारा भय एवं लोकलाज के कारण घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी गयी। बाद में परिजनों को घटना की जानकारी होने पर अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पप्पू उर्फ फारूख पुत्र झगरू उर्फ सफीउल्लाह को विश्नोहरपुर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. पप्पू उर्फ फारूख पुत्र झगरू उर्फ सफीउल्लाह निवासी ग्राम सहजनी चौकी, मौजा परसापुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0 294/2026 धारा 64(2)(एच)(एम),65(1),352,351(3) बीएनएस'' एवं धारा 5(जे)(2)/6, 5(1)/6, 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार टीम–
01. अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज
02. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी
03. उ0नि0 विभव सिंह
04. हे0का0 राकेश कुमार
05. का0 रितेश खरवार
06. म0का0 मांशी यादव
07. म0का0 हिमान्ती राना

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 24.08.2026</u>

<u>यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहन चालकों एवं संचालकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूकः—</u>

गोण्डा। सड़क सुरक्षा एवं स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल संचालकों एवं स्कूली वाहन चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली वाहनों के संचालन में निर्धारित यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल संचालकों एवं वाहन चालकों को निर्देशित किया गया कि स्कूली वाहनों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाए। वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन, वाहन के आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण—पत्र तथा चालक के वैध ड्राइविंग लाइसेंस आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। स्कूली वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाने तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के संबंध में भी जागरूक किया गया। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन चालकों को समझाया गया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं तथा सड़क पर यातायात नियमों एवं संकेतकों का पूर्णतः पालन करें। बच्चों को वाहन में चढ़ाते एवं उतारते समय विशेष सावधानी बरतने तथा विद्यालय परिसर एवं उसके आसपास यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्कूली वाहन चालकों एवं संबंधित कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण'' कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिकित्सकीय टीम द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य जांच की गई तथा वाहन चालकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने एवं नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा समय—समय पर जागरूकता कार्यक्रम एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों एवं संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना तथा वाहन चालकों एवं स्कूल संचालकों को यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार एवं जागरूक बनाना रहा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 24.08.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गयी गाय व घटना मे प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद–

कार्यवाही

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 777/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की गई गाय की घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.08.2026 को फत्तापुरवा के पास स्थित सागौन के पेड़ के पास से घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों– 01. शिव पुत्र शिवदास, 02. नयाब मिश्रा पुत्र स्व0 कृष्णदेव मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से 01 अदद चोरी गई गाय एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 05.08.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ढेलहनपुरवा, मौजा पूरे शिवाबख्तावर निवासी सुन्दरी पत्नी जगन्नाथ की काली–सफेद रंग की गाय घर के पीछे बंधी थी, जिसे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया था। प्रार्थिनी द्वारा अपने स्तर से काफी खोजबीन करने के उपरान्त दिनांक 23.08.2026 को थाना कोतवाली नगर पर प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 24.08.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी गई गाय एवं घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. शिवम पुत्र शिवदास निवासी ग्राम बिरतिहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
02. नायब मिश्रा पुत्र स्व0 कृष्णदेव मिश्रा निवासी खुटेहना, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0–777/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 श्री विभव तिवारी
02. का0 अनिल यादव
03. का0 पंकज कुमार
04. का0 आनन्द कुमार
05. कां0 अर्पित पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।